न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जोबनेर (जयपुर ग्रामीण)

पीठासीन अधिकारी अभिमन्यु सिंह कुन्तल आर0ए0एस

मुकदमा नं0 71 / 2022

1. इन्द्रसिंह पुत्र भोपालदान जाति चारण निवासी बाढ मथुरा दास तहसील जोबनेर जिला जयपुर राज0
2. मदनसिंह पुत्र प्रभुदान जाति निवासी बाढ मथुरा दास तहसील जोबनेर जिला जयपुर राज0

प्रार्थीगण

बनाम

1. कल्याण दान पुत्र केसरदान
2. जयसिंह पुत्र केसरदान
3. महावीर सिंह पुत्र गणेशदान
4. रामचन्द्र सिंह पुत्र केसरदान
5. रामसिंह पुत्र आवडदान
6. लक्ष्मण सिंह पुत्र आवडदान
7. वासुदेव सिह पुत्र केसरदान
8. विजय सिंह पुत्र गणेशदान

समस्त जाति चारण निवासी बाढ मथुरा दास तहसील जोबनेर जिला जयपुर राज0

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (ए) आर0टी0ए0 एक्ट

1. श्री भागचन्द सांभरिया वकील प्रार्थीगण
2. श्री सुरेश कुमार शर्मा वकील अप्रार्थीगण

दिनांक :– 23.05.2024

निर्णय

प्रार्थीगण द्वारा यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (ए) आर0टी0 एक्ट के तहत इस आशय का पेश किया कि आराजी खसरा नम्बर खसरा नं0 24 रकबा 0.0126 हे0 एवं खसरा नं0 25 रकबा 2.6681 हे0 वाकै ग्राम बाढ मथुरा दास प0ह0 आसलपुर तहसील जोबनेर में स्थित है जो कि प्रार्थीगण की कब्जे काश्त व खातेदारी की आराजी है। प्रार्थीगण के पास अपनी खातेदारी की आराजीयात पर आने जाने का कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं है। इसलिए प्रार्थीगण को अपनी भूमि की बाजोत काश्त करने के लिए व आवागमन के लिए सुविधानुसार खसरा नंबर 26 रकबा 3.2751 हे0 वाकै बाढ मथुरा दास में से मार्क ए0 से बी0 तक 24 फुट चौडा रास्ता कि आवश्यकता है। विधि वजह प्रार्थीगण जरिये अदालत आराजी खसरा नम्बर 26 रकबा 3.2751 हे0 मे से 24 फीट चौडे रास्ते को रास्ता कायम करा पाने के अधिकारी है। अतः आराजी खसरा नम्बर 26 रकबा 3.2751 हे0 मे से 24 फीट चौडाई के रास्ते को रास्ता कायम किया जावें।

प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण दर्ज रजिस्टर किया जाकर, अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण मय अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित आए। अप्रार्थीगण द्वारा जवाब प्रस्तुत किया गया। जिसके तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थीगण की भूमि खसरा नं0 24 वाकै ग्राम बाढ मथुरा दास में होना स्वीकार है परन्तु प्रार्थीगण के द्वारा अप्रार्थीगण की भूमि खसरा नं0 26 वाकै ग्राम बाढ मथुरा दास में से रास्ता लेने का आशय बिल्कुल गलत है क्योकि यह धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी

अधिनियम की मंशा यह है कि अभिधारी के खेत में यदि आने जाने का रास्ता मौके पर या रिकार्ड में नही हो तो अन्य नजदीकी रास्ते से रास्ता लेने का प्रावधान है लेकिन प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत यह प्रार्थना पत्र प्रावधानो के बिलकुल विपरीत है क्योकि प्रार्थीगणकी भूमि मे आने जाने के लिए अप्रार्थीगण की भूमि मे से रास्ता न तो प्रार्थीगण के नजदीक है और ना ही प्रार्थीगण की भूमि में से चालु रास्ता है। प्रार्थीगण को आशय रखने मात्र में अधिनियम के प्रावधानों की पूर्ति नहीं होती। प्रार्थीगण द्वारा अप्रार्थीगण की भूमि खसरा नं0 26 में रास्ता लेने का आशय बिलकुल गलत है। धारा 251ए के अनुसार अभिधारी के खेत में यदि आने जाने का रास्त मौके पर या रिकार्ड में नहीं है तो अन्य नजदीकी रास्ते से रास्ता लेने का प्रावधान है। प्रार्थीगण की भूमि में आने जाने के लिए अप्रार्थीगण की भूमि में से रास्ता न तो प्रार्थीगण के नजदीक है एवं ना ही अप्रार्थीगण की भूमि में से चालू रास्ता है। प्रार्थीगण की भूमि में नजदीकी रास्ता उसकी भूमि के दक्षिण दिशा में ग्राम गुढा बैरसल तहसील मौजमाबाद में स्थित है, जो उसके बिलकुल नजदीक हैं। गूगल मैप शीट के अनुसार भी मौके पर प्रार्थीगण की भूमि मे आने जाने हेतु रास्ता चालू है। अप्रार्थीगण जयसिंह की आराजी स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया शाखा बोराज, महावीर सिंह व विजय सिंह की आराजी आई0सी0आई0सी0आई0 बैंक शाखा जोबनेर, रामसिंह व लक्ष्मण सिंह की आराजी एच0डी0एफ0सी0 बैंक शाखा भांकरोटा के यहां रहन होने के बावजूद पक्षकार बनाया नहीं किया गया। अधिनियम की मंशा केवल नजदीकी रास्ते से ही रास्ता लेने की है, चाहे वह किसी भी गांव या उपखण्ड में स्थित हो। इस प्रकार नजदीकी रास्ता अप्रार्थीगण की भूमि में से नहीं होने से प्रार्थना पत्र खारिज होने योग्य है।

तहसीलदार जोबनेर ने दिनांक 30.06.2023 को रिपोर्ट इस आशय की पेस की कि मौके पर प्रार्थीगण के पास अन्य वैकल्पिक रास्ता नहीं है। प्रार्थीगण के लिए अन्य निकटतम रास्ता दक्षिण दिशा में ग्राम गुढा बैरसल तहसील मौजमाबाद में स्थित है। चाहे गये रास्ते की भूमि खसरा नं0 26 ग्राम बाढ मथुरा दास में जयसिंह पुत्र केसरदान हिस्सा 1/8 स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया शाखा बोराज, महावीर सिंह पुत्र गणेशदान हिस्सा 1/8 व विजय सिंह पुत्र गणेश दान हिस्सा 1/8 आई0सी0आई0सी0आई0 बैंक शाखा जोबनेर, रामसिंह पुत्र आवड दान हिस्सा 1/8 एच0डी0एफ0सी0 बैंक शाखा विधाधर नगर, जयपुर व लक्ष्मण सिंह पुत्र आवड दान हिस्सा 1/8 एच0डी0एफ0सी0 बैंक शाखा भांकरोटा के पक्ष में रहन दर्ज है। संलग्न नजरी नक्शे में दर्शाये अनुसार प्रार्थीगण द्वारा चाहे गये खसरा नं0 26 में रास्ता 'ए' से 'बी' की लम्बाई लगभग 140 मीटर व चौडाई 24 फिट (7.31 मीटर) लेने पर क्षेत्रफल 0.1023 हे0 भूमि आती है तथा अन्य निकटतम रास्ता 'सी' से 'डी' जो कि ग्राम गुढा बैरसल तहसील मौजमावद में है कि लम्बाई लगभग 70 मीटर व चौडाई 24 फिट (7.31 मीटर) लेने पर क्षेत्रफल 0.0511 हे0 आता है। उक्त रास्ता की भूमि अब्दूल रहमान प्रकरण से प्रभावित नही है। उक्त रास्ता की भूमि पर कोई स्थगन आदेश नही है। उक्त रिपोर्ट संबंधित खातेदारो को नोटिस देकर तैयार की गई है।

बहस अधिवक्ता उभयपक्ष सुनी गई। अधिवक्ता प्रार्थीगण ने लिखित बहस इस आशय की पेश कि है कि प्रार्थीगण अपनी खातेदारी की आराजी खसरा नं0 24 एवं खसरा नं0 25 में पहुंच के लिए अप्रार्थीगण की खातेदारी खसरा नं0 26 में से संलग्न नजरी नक्शे में दर्शित मार्क 'ए' से 'बी' 24 फिट चौडा रास्ता कायम किए जाने बाबत प्रस्तुत किया है। अप्राथीगण द्वारा प्रस्तुत जवाब प्रार्थना पत्र में चाहे गये रास्ते को नजदीकी रास्ता नहीं होना अंकित किया है एवं साथ ही प्रार्थीगण की भूमि में नजदीकी रास्ता दक्षिण दिशा में ग्राम गुढा बैरसल तहसील मौजमाबाद में होना उल्लेख किया है। गूगल मैप शीट के अनुसार मौके पर प्रार्थीगण की भूमि में आने जाने हेतु

उपखण्ड अधिकारी
जोबनेर, जयपुर

रास्ता चालू होने तथा अप्रार्थीगण खातेदार जयसिंह की आराजी स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया शाखा बोराज, महावीर सिंह व विजय सिंह की आराजी आई०सी०आई०सी०आई० बैंक शाखा जोबनेर, रामसिंह व लक्ष्मण सिंह की आराजी एच०डी०एफ०सी० बैंक शाखा भांकरोटा के यहां रहन होने के बावजूद पक्षकार कायम नहीं किये जाने से प्रार्थना पत्र को खारिज किये जाने की प्रार्थना चाही है। मौका रिपोर्ट के पृष्ठ संख्या 2 पर मद संख्या 1 में यह स्पष्ट रूप से अंकित है कि प्रार्थीगण के पास अन्य वैकल्पिक रास्ता नहीं है। इसलिए अप्रार्थीगण द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र के मद संख्या 6 में वर्णित कथन की गूगल मैप शीट के अनुसार मौके पर प्रार्थीगण की भूमि में आने जाने हेतु रास्ता चालू है, स्वयं ही गलत साबित हो जाता है। मौका रिपोर्ट की मद संख्या 3 में प्रार्थीगण के लिए रास्ते की आवश्यकता को जरूरी बताया है। इसलिए अन्य वैकल्पिक रास्ता ना होने व रास्ते की आवश्यकता जरूरी होने से प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाना आवश्यक है। मौका रिपोर्ट एवं अप्रार्थीगण के जवाब प्रार्थना पत्र में प्रार्थीगण के लिए निकटतम रास्ता दक्षिण दिशा में ग्राम गुढा बैरसल तहसील मौजमाबाद में स्थित होना अंकित किया है। जबकि माननीय न्यायालय का क्षेत्राधिकार तहसील जोबनेर की स्थानीय सीमा में स्थित राजस्व भूमि के संबंध में प्रकरण की सुनवाई व न्यायिक आदेश प्रदान करने का है। प्रार्थीगण की भूमि व अप्रार्थीगण की भूमि में माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार स्थित होने से माननीय न्यायालय को सुनवाई का श्रवणाधिकार प्राप्त है, जबकि दक्षिण दिशा की भूमि ग्राम गुढा बैरसल तहसील मौजमाबाद में स्थित है जिसमें से रास्ता मौके पर ना तो चालू है, न ही तहसील मौजमाबाद की स्थानीय सीमा में स्थित भूमि में से रास्ता प्रदान करने का क्षेत्राधिकारी माननीय न्यायालय मे निहित है। ग्राम गुढा बैरसल जाने के लिए प्रार्थीगण को अपने ग्राम बाढ मथुरा दास से ढाणी बोराज या आसलपुर तत्पश्चात गुढा बैरसल जाना होगा। जिसकी दूरी 8 से 10 किमी है। मौका रिपोर्ट के संलग्न नक्शे में मार्क 'सी' से 'डी' ग्राम गुढा बैरसल की दूरी 70 मीटर बतायी गयी है। जो मौके पर चालू नहीं है। उक्त 70 मीटर की लम्बाई में बीच के खसरा नं0 व भूमि की किस्म का उल्लेख तहसीलदार महोदय द्वारा नहीं किया गया है। उक्त 70 मीटर के बीच की आराजीयात के खसरा नं0 53, 54, 51 है। खसरा नं0 53 की किस्म गै0मु0 आबादी, खसरा नं0 54 की किस्म गै0मु0 बाडा है जिसके संबंध में सुनवाई का श्रवणाधिकार माननीय न्यायालय को नहीं है। खसरा न0 51 की किस्म बारानी है लेकिन खसरा 53, 54, 51 की भूमियों की न्यायालय उपखण्ड अधिकारी महोदय, दूदू का स्थगन आदेश है। इसलिए उपरोक्त आराजीयात बाबत माननीय न्यायालय का श्रवणाधिकार ना होने व न्यायालय का स्थगन आदेश होने से प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावें। जवाब प्रार्थना पत्र की मद संख्या 8 में खातेदारों की आराजीयाता रहन होने से संबंधित बैंक को पक्षकार कायम न करने से प्रार्थना पत्र को खारिज करने हेतु अप्रार्थीगण ने निवेदन किया जबकि 2020 (2) CJ (CIV) (RAJ) 1008 कोयली देवी बनाम बरधीदेवी वगै0 में पारित निर्णय अनुसार बन्धक का तथ्य धारा 251ए आर0टी0एक्ट के तहत आक्षेपित आदेश को पुष्ट करने की राह में नहीं आ सकता। चुकि अप्रार्थीगण की आराजी का भौतिक कब्जा अप्रार्थीगण के पास है, इसलिए उक्त न्यायिक दृष्टांत की अनुपालना में अप्रार्थीगण की संबंधित बैंक को पक्षकार कायम न करने की आपत्ति स्वीकार योग्य नहीं है।

अप्रार्थीगण यह साबित करने में असमर्थ रहे है कि जवाब प्रार्थना पत्र में उल्लेखित रास्ता प्रार्थीगण का उपलब्ध था या अन्य कोई कार्यशील रास्ता प्रार्थीगण के पास विद्यमान था। प्रार्थीगण के पास अन्य कोई वैकल्पिक रास्त उपलब्ध चालू नहीं है इसलिए 2022 (1) CJ (CIV) (RAJ) 623 राजाराम वगै0 बनाम गोपाल वगै0 में

उपखण्ड अधिकारी
जोबनेर, जयपुर

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय प्रकरण के तथ्यों पर पूर्णतया चस्पा होने से प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना आवश्यक है। 2022 (1) CJ (CIV) (RAJ) 106 रामकुंवार बनाम राजस्थान सरकार माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा पुष्ट किये गये निर्णय में कोई हस्तक्षेप नहीं किया है। जिसमे कोई भी वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं होने से प्रार्थना पत्र धारा 251ए को स्वीकार किया गया। प्रार्थीगण के पास अपनी जोत मे जाने हेतु वैकल्पिक रास्ता न होने से तहसीलदार जोबनेर द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट एवं उपरोक्त न्यायिक दृष्टांत के परिपेक्ष में प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर खसरा नं0 26 में से मार्क 'ए' से 'बी' रास्ता स्वीकृत किया जाना न्यायोचित है।

अधिवक्ता अप्रार्थीगण ने दौराने बहस जवाब में अंकित तथ्यों का दौहरान किया। प्रार्थीगण के द्वारा अप्रार्थीगण की भूमि खसरा नं0 26 वाकै ग्राम बाढ मथुरा दास में से रास्ता लेने का आशय बिल्कुल गलत है क्योकि यह धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की मंशा यह है कि अभिधारी के खेत में यदि आने जाने का रास्ता मौके पर या रिकार्ड में नही हो तो अन्य नजदीकी रास्ते से रास्ता लेने का प्रावधान है लेकिन प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत यह प्रार्थना पत्र प्रावधानो के बिलकुल विपरीत है क्योकि प्रार्थीगण की भूमि मे आने जाने के लिए अप्रार्थीगण की भूमि मे से रास्ता न तो प्रार्थीगण के नजदीक है और ना ही प्रार्थीगण की भूमि में से चालु रास्ता है। प्रार्थीगण को आशय रखने मात्र में अधिनियम के प्रावधानों की पूर्ति नहीं होती। अधिवक्ता प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत लिखित बहस का जवाब देते हुए कहा कि प्रार्थीगण एवं उपखण्ड को अपनी भूमि पहुंच के लिए (आने–जाने) रास्ता कायम नहीं किया जा सकता। प्रार्थना पत्र 251ए के प्रावधानों के विपरित पेश किया है, जो खारिज होने योग्य है। नजदीकी रास्ता ग्राम गुढा बैरसल तहसील मौजमाबाद में स्थित है। जो निकटतम रास्ता है। माननीय न्यायालय के आदेश की अनुपालना में दिनांक 21.03.2023 को मौका निरीक्षण किया गया। प्रार्थीगण द्वारा लिखित बहस में मौका निरीक्षण की दिनांक जान बूझकर गलत अंकित की है। मौका रिपोर्ट के मद नंबर 1 में प्रार्थीगण के पास अन्य वैकल्पिक रास्ता नहीं है, लेकिन मद नबंर 2 में यह स्पष्ट अंकित है कि प्रार्थीगण के लिए अन्य निकटतम रास्ता दक्षिण दिशा में ग्राम गुढा बैरसल तहसील मौजमाबाद में स्थित है जो गूगल मैप शीट से भी साबित होता है। प्रार्थीगण को निकटतम रास्ता ही दिया जा सकता है, चाहे वह दूसरी तहसील या जिले में स्थित क्यों ना हो। प्रार्थीगण की सुविधा के लिए अप्रार्थीगण की भूमि में से रास्ता नहीं दिया जा सकता। प्रार्थीगण द्वारा एक तरफ तो खसरा नं0 53, 54 का श्रवणाधिकार माननीय न्यायालय का नहीं माना वहीं दूसरी ओर खसरा नं0 53, 54, 51 की भूमियों पर समकक्ष न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, दूदू का स्थगन आदेश होना जाहिर किया है। दोनो तथ्य एक–दूसरे के विरोधाभासी है। 2020 (2) CJ (CIV) (RAJ) 1008 कोयली देवी बनाम बरधीदेवी में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया है कि रहन से संबंधित तथ्य निचले न्यायालय के समक्ष नहीं उठाया गया था। प्रस्तुत प्रकरण में अप्रार्थीगण द्वारा अपने जवाब प्रार्थना पत्र में एवं तहसीलदार जोबनेर की मौका रिपोर्ट के मद संख्या 5 में रहन से संबंधित तथ्य माननीय न्यायालय के समक्ष आ चुके है ऐसी स्थिति में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय प्रस्तुत प्रकरण पर चस्पा नहीं होता है। 2022 (1) CJ (CIV) (RAJ) 623 राजाराम वगै0 बनाम गोपाल वगै0 एवं 2022 (1) CJ (CIV) (RAJ) 106 रामकुंवार बनाम राजस्थान सरकार में पारित निर्णयों के अनुसार अन्य कोई कार्यशील रास्ता नहीं होने से उपरोक्त दोनों निर्णय पारित किये गये, परन्तु प्रस्तुत प्रकरण में प्रार्थीगण के लिए अन्य निकटतम रास्ता दक्षिण दिशा में ग्राम गुढा बैरसल तहसील मौजमाबाद में

उपखण्ड अधिकारी
जोबनेर, जयपुर

स्थित है, जो मौके पर चालू रास्ता है। जिसकी पुष्टि भूगल शीट नक्शे द्वारा होती है। केवल मात्र वैकल्पिक रास्ता न होने के आधार पर ही धारा 251ए का प्रार्थना पत्र स्वीकार नहीं किया जा सकता बल्कि न्यायालय को रास्ते की विशेष आवश्यकता को भी ध्यान में रखना होगा। अधिवक्ता अप्रार्थीगण द्वारा 2016 WLC (RAJ) UC 338 भागसिंह बनाम बॉर्ड ऑफ रेवेन्यू अजमेर में पारित निर्णय अनुसार यदि पक्षकारों के पास वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध है, तो नया रास्ता कायम करने की अनुमति नही दी जा सकती, पेश की। अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावें।

हमने अधिवक्ता उभय पक्षकारान की बहस को सुना, मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड एवं मौका रिपोर्ट का अवलोकन किया। यहाँ पर प्रार्थीगण द्वारा अपने आराजी खसरा नम्बर आराजी खसरा नम्बर 24, 25 में पहुंचने हेतु आराजी खसरा नम्बर 26 से रास्ता चाहा गया है। तहसीलदार जोबनेर ने अपनी रिपोर्ट में अवगत कराया है कि मौके पर प्रार्थीगण द्वारा अपने आराजी खसरा नम्बर 24, 25 में पहुंचने हेतु आराजी खसरा नम्बर 26 से रास्ता चाहा गया है। प्रार्थीगण के लिए अन्य निकटतम रास्ता दक्षिण दिशा में ग्राम गुढा बैरसाल तहसील मौजमावाद में स्थित है। चाहे गये रास्ते की भूमि खसरा नं0 26 ग्राम बाढ मथुरा दास में जयसिंह पुत्र केसरदान हिस्सा 1/8 स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया शाखा बोराज, महावीर सिंह पुत्र गणेशदान हिस्सा 1/8 व विजय सिंह पुत्र गणेश दान हिस्सा 1/8 आई0सी0आई0सी0आई0 बैंक शाखा जोबनेर, रामसिंह पुत्र आवड दान हिस्सा 1/8 एच0डी0एफ0सी0 बैंक शाखा विधाधर नगर, जयपुर व लक्ष्मण सिंह पुत्र आवड दान हिस्सा 1/8 एच0डी0एफ0सी0 बैंक शाखा भांकरोटा के पक्ष में रहन दर्ज है। संलग्न नजरी नक्शे में दर्शाये अनुसार प्रार्थीगण द्वारा चाहे गये खसरा नं0 26 में रास्ता 'ए' से 'बी' की लम्बाई लगभग 140 मीटर व चौडाई 24 फिट (7.31 मीटर) लेने पर क्षेत्रफल 0.1023 हे0 भूमि आती है तथा अन्य निकटतम रास्ता 'सी' से 'डी' जो कि ग्राम गुढा बैरसाल तहसील मौजमावद में है कि लम्बाई लगभग 70 मीटर व चौडाई 24 फिट (7.31 मीटर) लेने पर क्षेत्रफल 0.0511 हे0 आता है।

प्रार्थीगण द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में यह अंकित किया है कि प्रार्थीगण के पास वर्तमान में कोई रास्ता उपलब्ध नहीं है। उक्त भूमि में से रास्ता दिये जाने से प्रार्थीगण अपनी भूमि पर सुविधाजनक आवागमन कर के अपनी भूमि की काश्त कर सकते है एवं कृषि यन्त्रों को लाने ले जाने व पशुओं के लिए चारा लाने ले जाने में उनको सुविधा मिलेगी। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251ए (1) **"के अनुसार और मामला पारस्परिक सहमति से तय नहीं होता है तो ऐसा अभिधारी या, यथा स्थिति, ऐसे अभिधारी ऐसी सुविधा के लिए संबंधित उपखण्ड अधिकारी को आवेदन कर सकेगें और उपखण्ड अधिकारी, यदि संक्षिप्त जांच के पश्चात उसका समाधान हो जाता है कि–**

i. **यह आवश्यकता आत्यंतिक आवश्यकता है और यह जोत के केवल सुविधाजनक उपभोग के लिए नहीं है; और**

ii. **अन्य खातेदार की जोत में से होकर, विशिष्ट रूप से नये मार्ग के मामले में, पहुंचने के वैकल्पिक साधन का अभाव सिद्ध किया गया है–**

प्रार्थीगण द्वारा चाहा गया रास्ता अपनी भूमि के सुविधाजनक उपयोग उपभोग के लिए चाहा है। जबकि धारा 251ए (1) के अनुसार जोत के केवल सुविधाजनक उपयोग उपभोग के लिए रास्ता नहीं दिया जा सकता, बल्कि प्रार्थीगण को यह साबित करना था कि चाहे गये रास्ते की आवश्यकता आत्यंतिक आवश्यकता है, प्रार्थीगण ऐसा साबित करने में असफल रहे। प्रार्थीगण द्वारा अन्य खातेदार की जोत में से होकर, विशिष्ट रूप से नये मार्ग के मामले में, पहुंचने के वैकल्पिक साधन का

उपखण्ड अधिकारी
जोबनेर, जयपुर

अभाव सिद्ध नहीं किया गया। क्योंकि तहसीलदार रिपोर्ट के मद संख्या 2 में यह स्पष्ट अंकित है कि प्रार्थीगण के लिए अन्य निकटतम रास्ता दक्षिण दिशा में ग्राम गुढा बैरसल तहसील मौजमाबाद में स्थित है। अधिवक्ता प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतों का ससम्मान अवलोकन किया गया। प्रार्थीगण द्वारा जो न्यायिक दृष्टांत पेश किए गये है, उनके तथ्य हस्तगत प्रकरण के तथ्यों से भिन्न होने के कारण हस्तगत प्रकरण पर लागू नहीं होते है। उक्त न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत प्रकरण पर चस्पा नहीं होते है। धारा 251ए (1) के अनुसार अभिधारी को रास्ते के लिए संबंधित उपखण्ड अधिकारी को आवेदन कर सकेगें। अर्थात यह आवश्यक नहीं है कि अन्य तहसील/उपखण्ड क्षेत्र में स्थित भूमि में से रास्ता प्राप्त करने हेतु आवेदन नहीं किया जा सकता। संबंधित तहसील/उपखण्ड क्षेत्र में स्थित भूमि से रास्ता प्राप्त करने हेतु संबंधित उपखण्ड अधिकारी के समक्ष आवेदन प्रस्तुत किया जा सकता था, लेकिन प्रार्थीगण द्वारा अपनी सुविधा के हिसाब से इस उपखण्ड क्षेत्र में स्थित भूमि में से रास्ते के लिए आवेदन किया गया है, जो न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

अतः यह रास्ता सुविधाजनक एवं सुगम नहीं है। दिनांक 30.06.2023 को तहसीलदार द्वारा प्रेषित रिपोर्ट के मद संख्या 2 एवं 8 में मात्र 70 मीटर की दूरी पर निकटतम रास्ता बताया गया है। इसलिए प्रार्थीगण के पास वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 क खारिज योग्य है।

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (ए) आर0टी0 एक्ट खारिज किया जाता है। निर्णय आज दिनांक 23.05.2024 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अभिमन्यु सिंह डूडी)
उपखण्ड अधिकारी
जोबनेर (जयपुर ग्रामीण)